

कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक 475 / 14-1 दिनांक : आगरा : 13 अप्रैल, 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ०प्र० लखनऊ।

विषय : आगरा में जल सम्पूर्ति (गंगाजल) परियोजना के अन्तर्गत कैलाश मन्दिर से जीवनी मण्डी, वाटर वर्क्स उ०प्र० जल निगम आगरा द्वारा बिछायी गयी पाइप लाइन में प्रयुक्त अतिरिक्त 10.22375 हे० आरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमतिके सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ का पत्रांक-8बी०/यू०पी०/०८/३३/एफ०सी०/२५ दिनांक 11.04.2018 एवं प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, आगरा का पत्रांक 4683/14-1 दि० 12.04.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में लगायी गयी आपत्तियों का निस्तारण कर बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, आगरा से संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुई है जो संस्तुति सहित निम्न प्रकार सेवा में प्रेषित है :-

क्र०सं०	भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियां	निस्तारण आख्या
1.	Original SOI toposheets of proposed land and CA land not provided.	प्रस्तावित एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की मूल टोपोशीट संलग्न है।
2.	Kml file shows less area as compared to proposed land for diversion, which needs rectification.	संशोधित Kml फाइल संलग्न है।
3.	Proposed area is lying within Eco sensitive zone, recommendation of Chief Wild Life Warden/Sc-NBWL is needed.	इस कार्यालय द्वारा मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक के स्तर से अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने हेतु संस्तुति की गई है।
4.	Copy of original approval order of diversion with compliance report of conditions may be submitted.	मूल प्रस्ताव की अनुपालन आख्या संलग्न है।
5.	CA land on Degraded Forest Land in twice the area of diversion is needed.	दुगने अवनत वन में वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थलों का टोपोशीट एवं जी०आ० स्मैप संलग्न है।
6.	Copy of Supreme Court Order/Permission obtained earlier.	मा० उच्चतम न्यायालय से वृक्ष पातन सम्बन्धी आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
7.	Penal provision as per latest guidelines of MoEF& CC should be made applicable.	इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता द्वारा दी गई बचनबद्धता प्रस्ताव के साथ पूर्व में संलग्न की जा चुकी है।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय

 13.4.18

(रमेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक
आगरा वृत्त, आगरा।

महोदय, संदर्भित पत्र के
अनुपालन हेतु

पत्रांक 475 / 14-1 दिनांकित

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, आगरा को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि परियोजना प्रबन्धक, गंगाजल परियोजना इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रयोक्ता आगरा की कपी प्राप्त की

13-4-18
APF

 13.4.18

(रमेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक
आगरा वृत्त, आगरा।